प्रदर्श "स"

प्रमाण पत्र

परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.बी.डी.प्रोजेक्ट) बलौदाबाजार द्वारा भगतदेवरी–तोषगांव–सलडीह–गढ़फुलझर–तोरेसिंघा मार्ग का 2 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना हेतु ग्राम सराईपाली तहसील बसना जिला महासमुन्द, वन मंडल – महासमुन्द के वन भूमि कक्ष क्रमांक 298, 300 व्यपवर्तन हेतु 2.767 हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में आदिवासी एवं अन्य गैर परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

01/– प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की 2.767 हेक्टेयर आरक्षित/संरक्षित/राजस्व वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम सराईपाली, तहसील बसना जिला महासमुन्द में स्थित है।

में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है :– ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 19.06.2018 (प्रदर्श "ब") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन (प्रदर्श "अ") पर दर्शित है।

02/– प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम सराईपाली में ग्राम सभा की बैठक दिनांक 19.06.2018 में रखा गया था जिसमें ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे। यह पाया गया है कि, इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र धारक व्यक्ति नही है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है –

क्र	ग्राम का नाम	प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार मान्यता पत्र धारक	रकबा (हे.में)
01	सराईपाली	निरंक	निरंक

03/– यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 19.06.2018 अनुसार ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है। जिनको अनुसूचित जनजाति एवं गैर परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ड़) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

04/– राजस्व/वन विभाग के संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन/ग्राम सभा के प्रस्ताव/उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 19/06/2018/जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 18/06/2020 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2)(ठ) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

दिनांक :–

25/11/2021

डोमन सिंह
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
जिला – महासमुन्द (छ.ग.)